बिहार में अपना ही लोकायुक्त एक्ट होगा लागू

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकपाल को संवैधानिक दर्जा संबंधी विधेयक लोकसभा में खारिज हो जाने को कांग्रेस की नैतिक हार बताया है। बुधवार को दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले से लोकायुक्त बना हुआ है। हमारे पास सख्त लोकायुक्त कानून है और राज्य में वही कानून लागू होगा। कुमार जापान के प्रधानमंत्री के सम्मान में आयोजित भोज में शामिल होने के लिए दिल्ली गये हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री सेवा यात्रा पर औरंगाबाद जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकायुक्त कानून को राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए लेकिन संघीय ढांचे पर प्रहार करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। कांग्रेस राज्यों के वजूद को स्वीकार नहीं करती है। इसलिए केन्द्र में जब भी उसकी सरकार आती है, संघीय ढांचे पर हमला होता है। लोकायुक्त कानून बनाने से पहले संघीय ढांचे का ख्याल रखा जाना चाहिए। लोकसभा ने लोकपाल बिल को पारित कर दिया है। इसकी कई खामियां दुरुस्त कर ली गई हैं। इसके बावजूद अभी भी सुधार की बहुत गुंजाइश है। लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देना कांग्रेस के दिमाग की उपज है। जब कांग्रेस को दो-तिहाई बहुमत नहीं है तो ऐसा प्रस्ताव लाया ही क्यों गया?

नीतीश बोले

- लोकायुक्त कानून को राज्यों के ऊपर छोड़ देना चाहिए
- संघीय ढांचे पर प्रहार करना कांग्रेस की पुरानी आदत

पटना में वर्ष-2012 के लिए बिहार डायरी और नया कैलेंडर जारी करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साथ में हैं सूचना व जनसंपर्क मंत्री वृषिण पटेल और सूचना विभाग के सचिव राजेश भूषण।